पत्र संख्या–4/स्था0–01–48/2019 ज0स0 :–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषकः– अशोक कुमार दास
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में, सभी मुख्य अभियन्ता,
(लधु सिंचाई सहित)
जल संसाधन विभाग,
झारखंड,रॉची ।

रॉंची ,दिनांकः–

विषयः– विभागों/निदेशालयों/कार्यालयों के पुनर्गठन तथा पदों के युक्तिकरण (Rationalization) के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–6237 दिनांक–11.11.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विभाग एवं उनसे संलग्न निदेशालयों/कार्यालयों में पदाधिकारियों एवं कर्मचारी की कमी/अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल विभागों/ निदेशालयों/कार्यालयों के पुनर्गठन तथा पदों का युक्तिकरण के संबंध में दिनांक 14.11.2019 तक तत्संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में निश्चित रूप से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु वॉछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विस्तृत विवरणी दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय । उल्लेखनीय है कि विषयांकित मामले में दिनांक–28.11.2019 को मुख्य सचिव झारखंड,रॉंची की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आहुत है । अतएव ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नही होने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी ।

कृपया इसें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–

( अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापाकः– 6374

रॉंची, दिनांक........19/11/19

प्रतिलिपि–वेव मैनेजर,जल संसाधन विभाग,झारखंड रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/11/19

( अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

C:\Users\Hp\Desktop\jitu manjhi (2).docx